



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.10.2026

क्राइम ब्रांच टीम एवं थाना भोजपुर पुलिस की संयुक्त टीम गाजियाबाद द्वारा लूट की घटना कारित करने वाला 10 हजार रुपये का इनामी शातिर लुटेरा/वांछित अपराधी पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से उक्त घटना में लूटा गया मोबाइल, 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर, 01 खोखा कारतूस 0.315 बोर, 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 02.08.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर वादी द्वारा एक कार से लिफ्ट मांगी गई थी, लिफ्ट देने के उपरान्त कार सवार 03 व्यक्तियों द्वारा वादी से वादी का मोबाइल, लैपटॉप व पर्स लूट लिया गया। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर सुसंगत धारा- 309(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूटे गये सामान की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

दिनांक 19.08.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान लूट की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. सागर खान पुत्र मौ0 यासीन निवासी- न्यू कोडली थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली 2. शिवम उर्फ विष्णु उर्फ डमरू पुत्र सुनील श्रीवास्तव निवासी महामेगा रेवती कॉलोनी थाना सूरजपुर नोएडा मूल पता ग्राम चकरपासपुर PGI आजमगढ़ को थाना भोजपुर क्षेत्र से पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में व एक अभियुक्ता कविता पत्नी मन्नू नि0 ग्राम खानपुर थाना जानी जिला मेरठ को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है, जिनके कब्जे से अवैध 02 तमन्चे 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 खोखा कारतूस 315 बोर, लूटा गया लैपटॉप, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड व एक आईडी कार्ड व एक चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गई थी व पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी थी ।

दिनांक 16.10.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम व क्राइम ब्रांच टीम गाजियाबाद द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान लूट की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त राज उर्फ राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र अजय पाण्डेय निवासी- न्यू कोडली थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली, उम्र 22 वर्ष को थाना भोजपुर क्षेत्र से पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, लूटा गया मोबाइल फोन व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई व गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा- 317(2), 109(1), 317(5) बी0एन0एस0 व 3/25/28 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने अन्य 03 साथियों 1. सागर खान पुत्र मौ0 यासीन 2. शिवम उर्फ विष्णु उर्फ डमरू पुत्र सुनील श्रीवास्तव 3. कविता पत्नी मन्नू के साथ मिलकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर अपनी कार से जा रहे थे तभी रास्ते में एक यात्री ने हमसे काशी टोल प्लाजा से गाजियाबाद के लिए लिफ्ट मांगी हमने उसे बैठा लिया था, रास्ते में उसके पास कीमती सामान देखकर हमें लालच आ गया था। हमने उससे लैपटॉप, मोबाइल फोन व उसका पर्स लूट कर रास्ते में गाड़ी से उतार दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राज उर्फ राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र अजय पाण्डेय निवासी- न्यू कोंडली थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली, उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से उक्त घटना में लूटा गया मोबाइल, 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर, 01 खोखा कारतूस 0.315 बोर, 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 01 अभियोग लूट का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम व क्राइम ब्रांच गाजियाबाद टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 84 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद।

आज दिनांक 17.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ 2 अभियुक्तगण 1. मोसीन पुत्र जब्बार, निवासी- क्षेत्रा बस्ती, पठानों वाली गली, थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष 2. विनय पोली पुत्र अशोक, निवासी मुल्तान नगर, बागपत रोड़ थाना टीपी नगर जनपद मेरठ, उम्र 20 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 84 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर धारा-60/63 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह अवैध शराब हमने चोरी छिपे हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ठेकों से खरीदी थी तथा अधिक मुनाफा कमाने के लिये राह चलते लोगों को अधिक पैसों में बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. मोसीन पुत्र जब्बार, निवासी- क्षेत्रा बस्ती, पठानों वाली गली, थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष।
2. विनय पोली पुत्र अशोक, निवासी मुल्तान नगर, बागपत रोड़ थाना टीपी नगर जनपद मेरठ, उम्र 20 वर्ष बरामदगी का विवरण-

कब्जे से कुल 84 पच्चे अवैध शराब जिसमें से 60 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का व 24 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम व आबकारी टीम ।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02

अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद ।

आज दिनांक 17.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. साहिल उर्फ भूरा पुत्र मोहम्मद यूसुब निवासी सहविस्वा डबल टंकी मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष 2. सलमान पुत्र मो0 सलीम निवासी- ईदगाह बस्ती मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी सम्बन्धित थाना नौचन्दी जनपद मेरठ बरामद हुई । उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा- 317(2)/ 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह स्कूटी हमने 3- 4 महीने पहले मेरठ के गढरोड के आसपास से चोरी की थी तथा इस स्कूटी को हमने घनी झाड़ियों में छुपा दी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. साहिल उर्फ भूरा पुत्र मोहम्मद यूसुब निवासी सहविस्वा डबल टंकी मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष ।
2. सलमान पुत्र मो0 सलीम निवासी- ईदगाह बस्ती मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 चोरी की स्कूटी सम्बन्धित थाना नौचन्दी जनपद मेरठ बरामद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त साहिल उर्फ भूरा के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा पूर्व में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग मारपीट का व थाना नौचन्दी पर 01 अभियोग चोरी का (कुल 03) अभियोग पंजीकृत हैं ।

अभियुक्त सलमान के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध 01 अभियोग व पूर्व में थाना नौचन्दी मेरठ पर 01 अभियोग चोरी का अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा प्लाट विवाद को लेकर हुई हत्या की घटना में संलिप्त 03

अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

घटना का विवरण:- दिनांक 16.10.2026 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री सूर्या चौधरी पुत्र श्री भूपेन्द्र चौधरी निवासी 9/174, राजेन्द्र नगर सैक्टर 03 अंगुरी पार्क थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी जिसमें बताया कि वह अपने प्लाट नं0 247 मोहन नगर साहिबाबाद में लेबर से काम करवा रहे थे तभी उक्त प्लाट पर राहुल साहनी, नोमिता शर्मा, नरेश अरोड़ा, राहुल शर्मा, व अन्य अज्ञात लड़के आये और गाली गलौच करने लगे और प्लाट पर लेबर से काम कराने के लिए मना करने लगे। मेरे द्वारा विरोध करने पर विपक्षी राहुल साहनी व उसके साथियों ने असलाह/रिवाल्वर निकालकर प्रार्थी व उसके साथियों आयुष, गोलू और सुधाकर पर ताबडतोड फायरिंग की गयी। वादी अपने साथियों के साथ जान बचाने के लिए दौड़ा तो वादी साथी आयुष को गोली लगी, जिसको नरेन्द्र मोहन अस्पताल ले जाया गया। दौरान इलाज डॉक्टर द्वारा घायल आयुष को मृत घोषित कर दिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर लिखित तहरीर दी गयी तथा वादी की तहरीर के आधार पर थाना साहिबाबाद पर तत्काल धारा 191(2)/191(3)/352/103(1) बीएनएस व धारा 30 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण/ गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु टीमो का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 16.10.2026 को ही नामजद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया।

अभियुक्त 1. नरेश अरोड़ा पुत्र रामचन्द अरोड़ा नि0 म0नं0 56 चतुर्थ तल सिडार क्रिस्ट सैक्टर 50 निर्वाण कन्ट्री थाना सै0 50 गुडगांव हरियाणा उम्र करीब 56 वर्ष, 2. राहुल शर्मा पुत्र कूलभूषण शर्मा नि0 म0नं0 247 कटोरी मिल मोहन नगर MMX माल के सामने खाली पड़े प्लाट से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्ता नोमिता शर्मा को उनके कटोरी मिल स्थित घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल/नामजद अभियुक्त राहुल साहनी पुत्र स्व0 सुभाष चन्द साहनी निवासी SF-7 शालीमार गार्डन एक्सटेशन-2 थाना शालीमार गार्डन कमि० गाजियाबाद, जिला अस्पताल MMG गाजियाबाद से दौराने इलाज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्ता नोमिता शर्मा ने पूछताछ पर बताया कि खसरा नं0 247 कटोरीमील मोहन नगर साहिबाबाद में केबी शर्मा रेजीडेंसी सोसाइटी बनायी, उसके सामने रोड पर कुछ कामर्सियल प्लाट भी बनाये उन्हीं प्लाटों में से एक प्लाट 180 वर्गगज का मैने पूनम चौधरी पत्नी पिकी चौधरी उर्फ भूपेन्द्र चौधरी को बेच दिया था। इस प्लाट के बराबर में मेरा प्लाट था। जिसके चलते उस दिन हम वहाँ काम करने गये थे। ये लोग वहाँ मौजूद थे।

। इसी बात को लेकर कहासुनी और मारपीट हो गयी। जिसके दौरान राहुल साहनी की लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली चल गयी थी जो आयुष नाम के लडके को लग गयी थी। जिसके बाद हम मौके से फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त / अभियुक्ता का नाम पता :-

1. नरेश अरोड़ा पुत्र रामचन्द अरोड़ा नि० म०नं० 56 चतुर्थ तल सिडार क्रिस्ट सैक्टर 50 निर्वाण कन्ट्री थाना सैक्टर 50 गुडगांव हरियाणा उम्र करीब 56 वर्ष।
2. राहुल शर्मा पुत्र कूलभूषण शर्मा नि० म०नं० 247 कटोरी मिल मोहन नगर MMX माल के सामने मोहन नगर थाना साहिबाबाद गा०बाद उम्र करीब 48 वर्ष।
3. अभियुक्ता नोमिता शर्मा पत्नी कुलभूषण शर्मा नि० म०नं० 247 कटोरी मिल, MMX माल के सामने मोहन नगर थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 72 वर्ष।
4. राहुल साहनी पुत्र स्व० सुभाष चन्द साहनी निवासी SF-7 शालीमार गार्डन एक्सटेशन-2 थाना शालीमार गार्डन कमि० गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष।

अभियुक्त / अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्तगण व अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 16.10.2026 को वादी श्री रिषभ त्यागी पुत्र श्री विनोद त्यागी नि० ग्राम डबाना थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल नि० ए-103 संचार रेजीडेन्सी थाना मधुबन बापूधाम कमि० गाजियाबाद ने मो०नं० 9716125405 ने थाना उपस्थित आकर लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी बहन आरती को उसके ससुरालजनो द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित करना व दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मधुबन बापूधाम पर अभियोग धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उपरोक्त मुकदमे की विवेचना की गयी तथा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर कमि० गा०बाद के आदेशानुसार थाना मधुबन बापूधाम द्वारा पुलिस टीम गठित की गयी। जिसके क्रम में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा पतारसी सुरागरसी वांछित अभियुक्त, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन चेकिंग के दौरान हमतुम रोड मोती रेजीडेन्सी के पास से अभियुक्त अंकुर त्यागी पुत्र राकेश त्यागी मूल निवासी ग्राम चमरावल थाना चाँदीनगर जनपद बागपत हाल निवासी फ्लैट नं० सी-106 संचार रेजीडेन्सी थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष को आज दिनांक 17.10.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर हम दोनों में आपस में झगडा होता रहता था इसी बात से तंज व परेशान होकर मेरी पत्नी ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। जिसकी मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अंकुर त्यागी पुत्र राकेश त्यागी मूल निवासी ग्राम चमरावल थाना चाँदीनगर जनपद बागपत हाल निवासी फ्लैट नं0 सी-106 संचार रेजीडेन्सी थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 35 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.06.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. सोनपाल पुत्र रामनिवास, 2. लक्ष्मण पुत्र धर्म सिंह, 3. बिल्लू पुत्र धर्म सिंह 4. सोनपाल की पत्नी 5. आयुष पुत्र सोनपाल समस्त निवासीगण शास्त्री कॉलोनी सरना मुरादनगर गाजियाबाद, के द्वारा एक राय होकर वादी व वादी के पिता के साथ गाली गलौज कर फरसा सरिया व लोहे की रॉड से मारपीट कर घायल कर देना व जान से मारने की धमकी देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2)/352/115(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा धारा 191(2) बीएनएस का लोप किया गया व धारा 352/115(2)/351(3) बीएनएस में मा0 न्यायालय अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली है।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सोमपाल उर्फ सोनपाल पुत्र रामनिवास निवासी- शास्त्री कॉलोनी ग्राम सरना थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 47 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि वादी व वादी के पिता ने आवारा पशुओं को अपने खेत से बाहर निकालकर हमारी कॉलोनी में घुसा दिये थे। मैंने व मेरे परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो वो नहीं माने, फिर मैंने व मेरे परिवार के लोगों ने एक राय होकर वादी व वादी के पिता के साथ गाली गलौज कर फरसा सरिया व लोहे की रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोमपाल उर्फ सोनपाल पुत्र रामनिवास निवासी- शास्त्री कॉलोनी ग्राम सरना थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 47 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।